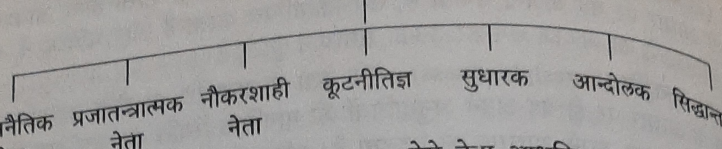

(1) **राजनैतिक नेता** (Political Boss)—ऐसे नेता आधुनिक प्रजातन्त्र की देन हैं। उनका कार्य क्षेत्र साधारणतः शहर अथवा राज्य स्तर पर होता है। वह किसी राजनैतिक दल से सम्बन्धित होता है। वह संघर्ष की देन होता है और सत्ता हथियाने के लिए संघर्ष का वातावरण बनाता है। अतः वह एक अच्छा संघर्षकर्ता होना चाहिए तथा उसमें संगठन बनाने की योग्यता होनी चाहिए जिससे कि वह चुनाव में सफलता प्राप्त कर सके।

(2) **प्रजातन्त्रात्मक नेता** (Democratic Leader)—ऐसे नेता भी प्रजातन्त्र की देन हैं, किन्तु ये राजनैतिकि दल के बाहर भी क्रियाशील होते हैं। ऐसे नेता सहिष्णु, अनुकूलन करने वाले और समझौता कराने वाले होते हैं। ये कानून और व्यवस्था में दृढ़ विश्वास रखते हैं।

(3) **नौकरशाही नेता** (Bureaucrat)—ऐसे नेता सरकारी तन्त्र की देन हैं। ये नेता व्यावहारिक, सैद्धान्तिक, बुद्धिमान और अपने कर्तव्य एवं कार्य के प्रति अनुशासित होते हैं। ये कानून के आधार पर ही कोई निर्णय लेते हैं। ये एक निश्चित कार्य प्रणाली को ही बनाये रखने का आग्रह करते हैं।

(4) **कूटनीतिज्ञ** (Diplomat)—ऐसे नेता सरकार द्वारा निश्चित किये गये नियमों के अनुसार ही कार्य करते हैं। ये किसी सरकार अथवा संस्था के प्रतिनिधि होते हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये दोहरी नीति का प्रयोग करते हैं। ये अपने शब्दों का प्रयोग बड़े नाप-तौल से करते हैं। कहा जाता है कि जब एक कूटनीतिज्ञ 'हां' कहता है तो उसका अर्थ होता है 'शायद', जब वह 'शायद' कहता है तो उसका अर्थ है 'नहीं' और जब वह 'नहीं' कहता है तो इसका अर्थ है कि वह कूटनीतिज्ञ ही नहीं है।

(5) **सुधारक** (Reformer)—प्रजातन्त्रात्मक समाज में ऐसे नेता सामान्यतः कई मिल जाते हैं जो प्रचलित सामाजिक व राजनैतिक व्यवस्था में पाये जाने वाले अनेक दोषों को दूर करने और नयी व्यवस्था लाने का प्रयास करते हैं। वे उग्र क्रान्तिकारी तो नहीं होते, किन्तु परिवर्तन एवं सुधार के प्रति भावुक अवश्य होते हैं। वे अपने सिद्धान्तों के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहते।

(6) **आन्दोलक** (Agitator)—आन्दोलक कट्टर सुधारवादी विचारों का होता है। वह मूल सिद्धान्तों का प्रसार चाहता है और उनका विरोध होने पर शीघ्र उत्तेजित हो जाता है। उसमें समझौते का अभाव होता है। वह स्वभाव से उग्र और सहिष्णु होता है। वह हिंसा के द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति चाहता है।

(7) **सिद्धान्तवादी** (Theorist)—ऐसा नेता अव्यावहारिक होता है। वह आन्दोलन में विश्वास नहीं करता है। वह तार्किक अधिक होता है। इस बात की उसे परवाह नहीं होती कि उसके सिद्धान्त व्यवहार में लाये जा सकते हैं अथवा नहीं। वह अपने सिद्धान्तों को संगठित व योजनाबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है।

ओरेनस्टीन का वर्गीकरण (Classification of Orenstein)

ओरेनस्टीन[1] ने गांवों में पाये जाने वाले नेतृत्व को औपचारिक एवं अनौपचारिक दो मुख्य भागों में बांटा है। अनौपचारिक को भी उसने विभिन्न खण्डों एवं उप-खण्डों में विभाजित किया है जिसे हम निम्नांकित चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं :

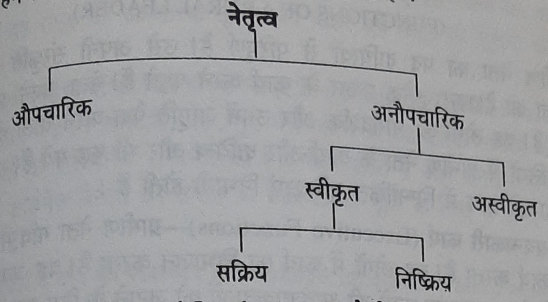

(I) **औपचारिक नेता** (Formal Leaders)—इस श्रेणी में गांव के वे सभी नेता आते हैं जिनकी नियुक्ति औपचारिक प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार होती है। गांव का सरपंच, पटवारी, ग्राम सेवक, अध्यापक आदि औपचारिक नेता की श्रेणी में आते हैं।

(II) **अनौपचारिक नेता** (Informal Leaders)—गांव में ऐसे कई नेता होते हैं जिनकी नियुक्ति किसी नियम अथवा सरकारी प्रक्रिया द्वारा नहीं होती है। गांवों में ऐसे नेता का अधिक प्रभाव होता है। ये औपचारिक नेताओं को भी प्रभावित करते हैं। अनौपचारिक नेताओं को भी दो उप-भागों में विभक्त किया गया है—(i) स्वीकृत, (ii) अस्वीकृत।

(i) **स्वीकृत नेता** (Sanctioned Leaders)—ये वे नेता होते हैं जिन्हें गांव के लोग अपना नेता स्वीकार करते हैं। गांव में उनका दबदबा और प्रभुत्व होता है। स्वीकृत नेताओं को भी पुनः दो भागों में बांट सकते हैं एक निष्क्रिय एवं दूसरे सक्रिय। निष्क्रिय नेताओं से समय-समय पर सलाह प्राप्त की जाती है। उनके आचरणों का लोग अनुगमन करते हैं। उनके गुण दूसरों के लिए प्रेरणा की बात होती है। किन्तु वे किसी को भी अपनी बात मानने के लिए बाध्य नहीं करते। ये उच्च आदर्श, बड़ी आयु एवं उच्च जाति तथा समाज में अच्छी प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति होते हैं। गांव का पुरोहित, मन्दिर के पुजारी, ज्योतिषी, सन्त एवं साधुओं को हम इस श्रेणी में रख सकते हैं।

सक्रिय नेताओं में वह व्यक्ति आते हैं जो शक्तिशाली होते हैं और लोगों पर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। वे किसी कार्य के लिए लोगों को प्रोत्साहन दे सकते हैं अथवा किसी कार्य को न करने के लिए रोक सकते हैं। उनके इस कार्य के पीछे बहुमत का बल होता है। कई बार उनके निर्णय अधिकांश लोगों की इच्छा के विरुद्ध भी हो सकते हैं। वे शान से रहते हैं, लोगों से बेगार लेते हैं तथा मौका आने पर छल, कपट, बल एवं प्रलोभन का प्रयोग भी करते हैं।

(ii) **अस्वीकृत नेता** (Unsanctioned Leaders)—गांव में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कार्य को किसी प्रकार से पूरा कर लेते हैं। उनमें कोई विशेष गुण नहीं होते और वे

[1] Henry Orenstein, "Leadership and Caste in a Bombay Village", in *Leadership and Political Institutions in India*, ed. By Park and Tinker, pp. 415-426.

अपनी शक्ति के आधार पर ही नेतृत्व करते हैं। वे व्यक्ति शारीरिक बल प्रयोग एवं लाठी के बल पर ही अपना कार्य चलाते हैं। लोगों पर इनका भय और आतंक छाया रहता है। गांव के लठैत इस प्रकार के नेताओं की श्रेणी में आते हैं।

ग्रामीण नेता के कार्य
(FUNCTIONS OF A RURAL LEADER)

ग्रामीण नेता का पद दायित्वों से परिपूर्ण है। उसे अपनी संस्कृति एवं ग्राम की आवश्यकता को देखकर अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। नेता अपने अनुयायियों का केन्द्र होता है। वह लोगों का मार्गदर्शक और उनमें जागृति पैदा करने वाला होता है। बदली हुई परिस्थितियों में ग्रामीण नेता के कार्य और दायित्व और भी बढ़ गये हैं। सामान्यतः एक ग्रामीण नेता को ग्राम में निम्नांकित भूमिकाएं निभानी होती हैं :

(1) **प्रबन्धकारी कार्य** (Executive Functions)—ग्रामीण नेता गांव में एक प्रबन्धक के रूप में कार्य करता है। वह लोगों में कार्य का विभाजन करता है। वह अकाल, प्राकृतिक प्रकोप, आदि के समय गांव वालों की आवश्यकताओं को जुटाने के लिए सरकार से सहायता का प्रबन्ध करता है और गांव की मांग सरकार के सम्मुख रखता है।

(2) **योजना बनाना** (To Prepare Plan)—ग्रामीण नेता ग्राम विकास एवं जनहित के लिए योजनाएं बनाता है। यदि वह ग्राम पंचायत, सहकारी समिति और अन्य संस्थाओं में पदाधिकारी होता है तो गांव के हित के लिए अनेक योजनाएं बनाता है, उनके क्रियान्वयन के लिए सरकार से सहायता प्राप्त करता है। वह अपनी योजना को पूरा करने के विभिन्न तरीके भी सुझाता है। वह यह भी देखता है कि योजना, उसके लक्ष्य और साधन व्यावहारिक हैं अथवा नहीं। योजनाएं दो प्रकार की बनायी जाती हैं—तात्कालिक व दीर्घकालिक। ग्राम विकास एवं कल्याण की योजनाएं दीर्घकालिक होती हैं, जबकि छोटे-मोटे कार्य जिन्हें थोड़े ही समय में पूरा करना ज़रूरी होता है, उनके लिए तात्कालिक व अल्पकालीन योजनाएं बनायी जाती हैं।

(3) **नीति का निर्धारण** (Policy Making)—ग्रामीण नेता समूह के आदर्श उद्देश्य और नीति को तय करता है। नीति निर्धारण में वह अपनी सूझ-बूझ का प्रयोग कर सकता है अथवा अपने से उच्च नेता का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। वह नीति के प्रति अपने अनुयायियों की प्रतिक्रिया का भी ध्यान रखता है और अनुयायियों के द्वारा अस्वीकार किये जाने पर नीति में संशोधन भी करता है।

4. **विशेषज्ञ के रूप में कार्य करना** (To Act as an Expert)—ग्रामीण लोगों के लिए उनका नेता एक विशेषज्ञ की भूमिका निभाता है। वह योजना बनाने और उसे लागू करने में आने वाली कठिनाइयों को विशेषज्ञ होने के नाते दूर करता है। नेता ग्रामवासियों के लिए तैयार सूचना और तैयार हल (ready-made information and ready-made soulution) का कार्य करता है। सरकारी काम-काज कराने और न्यायिक मामलों में गांव वालों के लिए वह एक विशेषज्ञ के रूप में होता है।

(5) **समूह का प्रतिनिधित्व** (Representation of the Group)—नेता अपने समूह के प्रतिनिधित्व का कार्य भी करता है; जैसे गांव का सरपंच पंचायत समिति में, जिला स्तर के अधिकारियों एवं अन्य लोगों के सम्मुख सम्पूर्ण गांव के प्रतिनिधि के रूप में बोलता है

और उन्हें गांव की सही स्थिति से परिचित कराता है। दो गांवों के आपसी विवादों के समय अथवा गांव में ही विभिन्न जातियों एवं गुटों के बीच विवाद होने पर गांव, जाति एवं गुटों के नेता अपने-अपने समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपनी मांगों एवं पक्ष को दूसरे पक्ष एवं अधिकारियों के सम्मुख रखते हैं। नेता समूह के लिए द्वार-रक्षक का कार्य करता है। इस रूप में वह समूह की आन्तरिक सूचना को बाहर एवं बाहर की सूचना को समूह के अन्दर पहुंचाता है।

(6) **आन्तरिक सम्बन्धों का नियन्त्रण करना** (Controlling on Internal Relations)—गांव के नेता अपने-अपने समुदाय, दल, गुट एवं जाति के आन्तरिक मामलों की देख-रेख करते हैं। सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्धों को नियन्त्रित करते हैं और उनमें तनाव पैदा होने पर पारस्परिक तालमेल बैठाते हैं। समहों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वे सभी सदस्यों का सहयोग करते हैं

(7) **पुरस्कार व दण्ड की व्यवस्था** (To Arrange for Reward and Punishment)—नेता अपने उन सदस्यों के लिए पुरस्कार की व्यवस्था करता है जो समूह के हित के लिए कार्य करते हैं। वह उनकी प्रशंसा करता है और उन्हें आर्थिक लाभ पहुंचाने का प्रयास करता है। जो सदस्य सामूहिक हितों के विपरीत कार्य करते हैं। उनकी आलोचना करता है और उन्हें समूह से बहिष्कृत करता है। जाति का मुखिया जाति के नियमों का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को जाति से बहिष्कृत कर सकता है, उन्हें जाति भोज देने के लिए कह सकता है अथवा उन पर जुर्माना कर सकता है।

(8) **पंच एवं मध्यस्थ के रूप में कार्य करना** (To Act as an Arbitrator or Mediator)—समूह के सदस्यों में संघर्ष पैदा होने के समय नेता पंच एवं मध्यस्थ का कार्य भी करता है और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपना निर्णय भी देता है। वह समूह में गुटबन्दी की प्रक्रिया को रोककर समूह के संगठन को बनाये रखता है।

(9) **आदर्श बनना** (To Place himself as an Example)—ग्रामीण नेता ग्रामवासियों के लिए आदर्श व्यक्ति होता है। गांव का प्रत्येक व्यक्ति उसे अपने से श्रेष्ठ मानता है और उसके आचरण का अनुकरण करने का प्रयास करता है। वह गांव वालों के लिए प्रेरणा स्रोत होता है।

(10) **समूह का प्रतीक बनना** (To Act as a Symbol of the Group)—नेता अपने समूह का प्रतीक माना जाता है। नेता के आचरण और व्यवहार को देखकर उसके समूह के आदरण और व्यवहार का पता लगाया जा सकता है। अन्य व्यक्ति नेता को देख कर ही उसके अनुयायियों व समूह के बारे में अनुमान लगा लेते हैं।

(11) **समूह के पथ-प्रदर्शक के रूप में कार्य करना** (To Act as a Guide of the Group)—ग्रामीण नेता ग्रामवासियों का मार्गदर्शक होता है। संकट काल में वह उनके साथ होता है और रचनात्मक कार्यों में उनके एक शिक्षक और सहयोगी के रूप में कार्य करता है। जब लोग यह निर्णय नहीं कर पाते कि उन्हें अमुक परिस्थिति के लिए क्या करना चाहिए तो वे नेता की शरण में आते हैं और उसे राह का दीपक समझ कर उसकी सलाह के अनुसार कार्य करते हैं और उसके दिशा निर्देश को स्वीकार करते हैं।

(12) **संरक्षक के रूप में कार्य करना** (To Act as Protector)—ग्रामीण नेता गांव समुदाय का संरक्षक माना जाता है। जब गांव में बाहर का अधिकारी अथवा पुलिस आती है तो वह गांव वालों का पक्ष लेता है व उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। **हिचकॉक** ने अपने खालापुर गांव के अध्ययन में नेता की इस भूमिका का उल्लेख किया है। जब एक बार पास के रेलवे स्टेशन पर डकैती हो गयी और पुलिस खालापुर के लोगों को जिन पर डकैती करने का शक था, पकड़ने पहुंची तो राजपूत नेता ने स्पष्टतः कह दिया कि गांव का कोई भी व्यक्ति डकैती में सम्मिलित नहीं था। गांव के लोग भी इस नेता को दयालु और पिता-तुल्य मानते थे। जनहित के लिए इस नेता ने अपने कई व्यक्तिगत हितों का बलिदान किया।

(13) **एक सुधारक के रूप में कार्य करना** (To Act as a Reformer)—गांव का नेता अपने गांव में अधिकाधिक विकास और सुधार के कार्यक्रम प्रारम्भ करता है। **हिचकॉक** ने अपने खालापुर गांव के अध्ययन में यह पाया कि राजपूत नेता वहां के लोगों की शराब पीने एवं अफीम खाने की आदत और चोरी करने की प्रवृत्ति छुड़ाने का प्रयास कर रहा था। उसने आर्य समाज द्वारा संचालित समाज-सुधार के कार्यक्रमों को लागू किया और कांग्रेस के आन्दोलनों से लोगों को परिचित कराया।

उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त ग्रामीण नेता को कई नये प्रकार के कार्य भी करने पड़ते हैं जो सामुदायिक विकास योजना और पंचायती राज की देन हैं तथा जो गांवों में सुधार एवं विकास से सम्बन्धित हैं। उदाहरणार्थ, एक ग्रामीण नेता को गांव में सड़क, कुओं, तालाबों एवं नहरों के निर्माण कार्यों में निर्णायक भूमिका निभानी होती है। गांव वालों को वह नवीन खाद, बीज, कृषि यन्त्रों एवं कृषि की विधियों से परिचित कराता है और इन कार्यों के लिए वह ग्राम सेवक तथा विकास अधिकारियों की सहायता करता है। सामुदायिक कार्यों के लिए चन्दा एकत्रित करता है और श्रमदान की व्यवस्था करता है। वह सामुदायिक विकास की नयी योजनाओं को स्वीकार करता तथा उनकी जानकारी ग्रामवासियों को प्रदान करता है। इन योजनाओं को अपनाने के लिए ग्रामवासियों को प्रोत्साहित करता है। ग्रामीण नेता लोगों को सरकारी ऋण एवं अंशदान दिलाने का कार्य भी करता है। वह विकास अधिकारियों एवं गांव वालों के बीच एक कड़ी का कार्य करता है और दोनों को एक-दूसरे की इच्छा से अवगत कराता है। वही सरकार में गांव का प्रतिनिधित्व करता है और सरकारी सूचनाओं से गांव वालों को परिचित कराता है। वही गांव के लिए पंचायत समिति, जिला परिषद एवं राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली सहायता प्राप्त करता है, साथ ही ऐसी योजनाओं और कार्यों का विरोध करता है जो ग्राम के हित में न हों।

ग्रामीण नेतृत्व से सम्बन्धित अध्ययन
(STUDIES REGARDING RURAL LEADERSHIP)

ग्रामीण नेतृत्व की प्रकृति, प्रकार और विशेषताओं को ज्ञात करनें तथा नवीन परिस्थितियों के कारण उनमें होने वाले परिवर्तनों का पता लगाने के लिए भारत के विभिन्न भागों में बसे अनेक गांवों का विद्वानों ने अध्ययन किया है। ये अध्ययन अनेक लेखों एवं पुस्तकों के रूप में प्रकाशित हुए हैं उनमें से **पार्क** एवं **टिंकर** द्वारा सम्पादित पुस्तक '*Leadership and Political Institutions in India*', **एल. पी. विद्यार्थी** द्वारा सम्पादिक पुस्तक '*Leadership in India*', **दुबे** द्वारा लिखित '*Emerging Patterns of Rural Leadership in*

Southern Asia', आदि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन अध्ययनों में नेतृत्व के विभिन्न पक्षों का उल्लेख किया गया है; जैसे नेतृत्व के नये प्रतिमानों, नेताओं की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, गांवों में नेताओं की भूमिका, आदि। हम यहां नेतृत्व के कुछ अध्ययनों का उल्लेख करेंगे जो अध्ययन हमें भारतीय गांवों में उभरते हुए नेतृत्व के प्रतिमानों (Emerging Pattern of Rural Leadership) की ओर संकेत करते हैं।

बी. एन. सिंह का अध्ययन—श्री सिंह[1] ने उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के नेवारीकला गांव में ग्रामीण नेतृत्व पर सामुदायिक विकास योजना के प्रभाव का अध्ययन किया। गांव में चौदह जातियां थीं। इनमें ब्राह्मण सबसे अधिक संख्या में थे। गांव में जाति का कठोर रूप शिथिल हो रहा था तथा सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक परिवर्तन में जाति बाधक नहीं थी। गांव में ब्राह्मण ही सबसे अधिक संख्या में शिक्षित थे। गांव की अधिकांश भूमि ब्राह्मण और राजपूतों के पास चली गयी थी। फिर भी उच्च जातियों का गांव में प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। उच्च जातियों की सामाजिक प्रतिष्ठा ऊंची होने, उनके शिक्षित होने तथा गांव की अधिकांश भूमि पर स्वामित्व होने के कारण गांव का नेतृत्व अब भी उनके हाथों में था। गांव में पशुओं की बीमारी के समय इन्जेक्शन लगाने के लिए ग्राम सेवक ने राजपूत नेताओं का सहारा लिया। गांव में विकास के कार्य; जैसे गलियों को साफ करने और नालियां बनाने, सहकारी संस्थाओं की सदस्यता बढ़ाने, आदि कार्य नवीन नेताओं द्वारा किये जा रहे थे। ये नये नेता युवा तथा उच्च एवं मध्यम आय समूह के थे। गांव के पुराने और धनवान लोगों का प्रभाव अब शिथिल हो गया था क्योंकि उनकी रुचि विकास कार्यों में नहीं थी। जब भी उनके हितों के विरुद्ध कोई कार्य होता तो वे अपने को विकास कार्यों से पीछे हटा लेते थे। नवीन कानूनी और राजनैतिक परिवर्तनों ने भी उन्हें हतोत्साहित कर दिया था और गांव वाले अब उन्हें अपना नेता नहीं मानते थे। **अब नेतृत्व का क्षेत्र छोटे-छोटे किसानों, पशुपालकों एवं दस्तकारी जातियों के लिए भी खुल गया था।** गांव में जनतन्त्रीय नेतृत्व उभर रहा था, जो पंचायती राज, सहकारी संस्थाओं और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की देन था।

हिचकॉक का अध्ययन—हिचकॉक[2] ने उत्तर प्रदेश के गांव खालापुर का 1953 से 1955 तक अध्ययन किया। इस गांव की जनसंख्या 5,000 थी। गांव में 32 जातियां थीं जिनमें सबसे अधिक संख्या में राजपूत थे। राजपूतों के बाद संख्या में चमारों का दूसरा स्थान था। चमार लोग अपने चमड़े का परम्परात्मक व्यवसाय छोड़ चुके थे और अब वे कृषि में मजदूरी का कार्य कर रहे थे। ब्राह्मण संख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर थे। अधिकांश ब्राह्मण कृषि कार्य करते थे और कुछ ब्राह्मण शिक्षित थे। इस गांव को 16वीं सदी में एक राजपूत ने बसाया था। गांव की सारी भूमि के मालिक राजपूत ही थे। अतः वे आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न थे। आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक दृष्टि से राजपूत गांव में प्रभावशाली जाति थी। 1930 से 1951 तक गांव का मुखिया एक 30 वर्षीय राजपूत था। राजपूतों का गांव होने से नेतृत्व का पहला अवसर राजपूतों को मिला था और कुछ उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं के कारण वह मुखिया गांव वालों एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों के बीच मध्यस्थ का कार्य करता था।

1 B. N. Singh, 'The Impact of the community Development', 'Programme on Rural Leadership', in *Leadership and Political Institutions in India*, ed. by L. Park and Tinker, pp. 358-371.

2 John T. Hitchcock, *Leadership in a North India Village—Two case Studies*, ed. by Park and Tinker, pp. 395-414.